न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पर्वतसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 90 / 2010

उनवान मुकदमा

1. श्रीमती कडवी पत्नी श्री भेमा (पुत्री श्री अमरीया पिता श्री रूपा) जाति भील हाल निवासी कोहाला तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
2. श्री लक्ष्मण पिता श्री बदा (माता श्रीमती गलबी) जाति भील निवासी मसोटिया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्री भेरा पिता श्री देवा दायमा जाति भील निवासी सामागढ़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. श्री कमजी पिता श्री चमना जाति भील निवासी अगरपुरा हाल समागढ़ा पटवार हल्का कुशलपुरा तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)
2. तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

वादीगण अधिवक्ता :— श्री मुकेश द्विवेदी
प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता :— श्री शकील मोहम्मद

निर्णय

दिनांक :— 07.07.2021

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है । प्रस्तुत वाद वादीगण के पैतृक कब्जे काश्त खाता संख्या 39 नया संवत 2026— से 2029 के अनुसार सर्वे नम्बर 457 रकबा 2 बीघा, 10 बिस्वा, सर्वे नम्बर 499 रकबा 14 बिस्वा, सर्वे नम्बर 500 रकबा 2 बीघा 14 किस्वा, सर्वे नम्बर 532 रकबा 6 बिस्वा, सर्वे नम्बर 598 रकबा 1 बीघा कुल खेत 5 कुल रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा लगानी 7.89 रूपया वाके ग्राम सामागढ़ा व जिला बांसवाड़ा में स्थित है। उक्त आराजीयात का वादीगण सहखातेदारान है। संयुक्त रूप से काश्त करते है। उक्त खाते का विभाजन नहीं हुआ है तथा कोई भी पक्ष किसी सर्वे नम्बर का एक मात्र अधिपति एवं खातेदार नही है। संयुक्त रूप से खातेदार लगानी अदा करते है। उक्त खाते के कुल 5 खेत सर्वे नम्बर की कृषि भूमि 7 बीघा 4 बिस्वा पर प्रत्येक इंच की जमीन पर आधिपत्य एवं खातेदारी हक है।

उक्त खाता नम्बर 39 के कुल सर्वे नम्बर 5 कुल रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम सामागढ़ा तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा के आराजी की भूमि मूल पूरूष श्री अमरीया पिता रूपा के नाम से बहैसीयत सेटलमेन्टी खाते में काश्त करते चले आ रहे थे। श्री अमरिया के पूत्र संतान नही होने की वजह से अपने भाई गोत्री कटुम्बी के देवा पिता श्री गौतम को अपने घर ले आये तथा उससे अपने उक्त खेतों की आराजीयात कुल रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा काश्त करने के लिए दी। उसके बाद अमरीया पिता श्री रूपा फौत हो गये। उनके फौत होने के बाद उक्त आराजीयात उनकी पत्नी श्रीमती हेतु बेवा अमरिया के नाम से दर्ज रेकार्ड हुई। जबकि श्रीमती हेती बेवा अमरीया के चार लड़किया गंगा गलबी मोती व कडवी (वादी संख्या 1) थी। लेकिन श्रीमती हेती बेवा अमरिया के एक मात्र नाम से नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 01.06.1956 दर्ज रेकार्ड किया गया। जबकि

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

अमरिया की लडकिया गंगा गलबी मोती व कडवी का नाम व अपने गौत्री कटुम्बी देवा पिता श्री गौतम की जानकारी के बिना नामान्तकरण खोला गया जबकि बहैसियत वारीसान का अमरिया की पूत्री व गोत्री कटुम्बी बेवा राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज कराने के अधिकारी थे। उक्त खाता नम्बर 39 के खतों का विभाजन श्री हेती व उसकी लडकिया व गोत्री देवा के मध्य विभाजन नही हुआ तथा संयुक्त खातेदारी होते हुवे प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादीगण की एवं मूल पूरूष अमरिया की पुत्रीयों की बिना सहमती के सर्वे नम्बर 457 रकबा 2 बीधा 10 बिस्वा वाके ग्राम सामागढ़ा पटवार हल्का कुशलपुरा तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित है। अपने नाम विक्रय करा लिया है। जो अनाधिकृत गैरकानूनन है। श्रीमती हेती बेवा अमरिया की सहमति के बिना गैर कानूनी खातेदार व आधिपत्य बता कर प्रतिवादी नम्बर 1 धोखा देकर अनूचित लाभ उठाने का कुट रचित किया है। जो नल एवं वोइड है। तथा प्रतिवादी नम्बर 1 का उक्त खेत नम्बर 457 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर कोई अधिकार नही है। न ही वह कानूनी खातेदार कृषक है। सर्वे नम्बर 457 रकबा 2 बीधा 10 बिस्वा अमरिया पिता श्री रूपा दायमा निवासी सामागढ़ा के नाम दर्ज रेकार्ड थी। मूल खातेदार अमरिया पिता रूपा के कोई पुत्र संतान नही थी। इस कारण अमरिया ने अपने कटुम्बी भाई गोत्री के लड़के देवा पिता गौतम को अपने सभी सर्वे नम्बर की कृषि भूमि संभालने के लिए दे दी। देवा पिता गौतम ने मूल खातेदार अमरिया की कृषि भूमि 457 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का सार सभांल काश्त कर ने तथा अमरिया की सेवा सुश्रषा देवा पिता गौतम ने की तथा अमरिया के फौत होने के बाद उक्त सर्वे नम्बर 457 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि खातेदार हेती के जीवनकाल में भी वादीगण संख्या 3 ने उक्त आराजी की सारसंभाल कर काश्त करता रहा। श्रीमती हेती बेवा अमरिया के देवसान के बाद शेष आराजी पर कब्जा होकर सम्पूर्ण आराजीयात पर निरन्तर निर्वाद शान्तिपूर्ण उपयोग व उपभाग वादीगण कर रहे है। अन्य सर्वे नम्बरान की कृषि भूमि के साथ वर्तमान में भी सर्वे नम्बर 457 पर वादीगण की फसल मक्का व सब्जियां मोके पर विधमान है। उक्त आराजी सर्वे नम्बर 457 पर मूल खातेदार अमरिया पिता रूपा जीवनकाल से ही वादीगण वादीगण संख्या 3 के पता देवा के कब्जे काश्त होकर वर्तमान में उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त है। हेती बेवा अमरिया के फौत के बाद नामान्तरकरण संख्या 318 दिनाक 03.06.1989 के द्वारा अमरिया की पूत्री गंगा गलबी मोती एवं कडवी के नाम खोला गया तथा गंगा व मोती लाऔलाद फौत हो गई। गलबी का लड़का वादी संख्या 2 है। जो कि वादी संख्या 1 व 3 के साथ बहैसियत वारीसान के खातेदार है। वादी संख्या 3 का सर्वे नम्बर 457 नामे घरवाडा में मकान बना हुआ है। उक्त मकान अमरिया पिता रूपा के समय से विद्यमान है जिससे वादी संख्या 3 परिवार सहित निवास कर रहा है। शेष सर्वेनम्बर 457 की कृषि भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान में वादी संख्या 3 ने फसल कर रखी है। पिछले 5–6 माह से प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को डरा धमका कर खेत खोस लेने का प्रयास कर रहा है। जिसपर वादीगण ने उक्त आराजी अपनी होना बताया। प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि उक्त सर्वे नम्बर 457 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा की भूमि में मेरा नाम दर्ज है तथा तुम परिवार सहित उक्त सर्वे नम्बर 457 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि छोडकर चले जाओ। अन्यथा जान से खत्म कर दुंगा। जिस पर वादीगण ने राजस्व नकल प्राप्त की तो पता चला प्रतिवादी संख्या 1 ने हेती बेवा अमरिया की वृद्धावस्था का लाभ लेकर वादीगण की बिना जानकारी के कुटरचित विक्रय पत्र तैयार कार वादीगण के कब्जे काश्त सर्वे नम्बर 457 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का विक्रय पत्र अपने नाम निष्पादित करा दिया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने प्रभाव का उपयोग कर राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादीगण एवं हेती बेवा अमरिया व उसकी पुत्रियों की जानकारी

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

व सूचना दिये बिना नामान्तकरण संख्या 248 दिनांक 08.02.1983 दर्ज करा दिया। जो प्रारम्भ से शून्य होकर खारीज योग्य है। जबकि वादीगण व कटुम्बी भाई गोत्री उक्त आराजी सर्वे नम्बर 457 की सार संभाल कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि अगरपुरा तहसील गढी जिला बांसवाड़ा का रहने वाला है तथा गांव सामागढा में अपने रिश्तेदारों के प्रभाव का उपयोग कर प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम नानूराम नही है। जिस पर वादीगण ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया तथा भांजगडा किया गया उसमें प्रतिवादी संख्या 1 को बुलाया गया। तो उसने गांव के लोगों के समक्ष कहा उक्त आराजी नम्बर सर्वे नम्बर 457 में राजस्व रेकार्ड में मेरा नाम दर्ज हो गया है। जिसके स्थान वादीगण का नाम दर्ज कराने की स्वीकृति दी। कहा कि उक्त राजस्व रेकार्ड में स्वयं वादीगण को ले जाकर तहसीलदार बांसवाड़ा के शूद्धिकरण करा दुंगा, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने आजकल का बहाना बनाकर टालमटोल करता रहा। जबकि वादीगण का ही उक्त आराजी में कब्जा काश्त है तथा वादी संख्या 3 मूल खातेदार अमरिया पिता रूपा जो कि वादी के भाई कुटुम्बी हैं था बहैसियत उत्तराधिकारी भी उक्त आराजी में काबिज है व वादीगण के परिवार के मकान बने हुए। उक्त आराजी सर्वे नम्बर 457 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार कृषक घोषित कराने की पात्रता रखते है। जिस हेतु धारा 88 आर टी एक्ट के तहत यह वाद पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करना चाहता है। वादीगण को शान्तिपूर्वक काश्त में बाधा व रूकावट पैदा कर रहा है, जिससे वादीगण को भारी क्षति हो रही है जिसका मुल्यांकन रूपयों में संभव नही है। वादीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना पाया जाता है। सुविधा संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को कोई नुकसानी नही हो रही है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने का प्रयास कर सकता है। वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करने हेतु प्रतिवादी अपने प्रभाव का उपयोग कर गैर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। जिस हेतु प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है, जिस हेतु हस्ब धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत यह वाद पेश है। वाद अन्दर म्याद है।

वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार कर इस आशय की डिक्री कि नामान्तरकरण संख्या 248 दिनांक 08.2.1983 अवैध्य होने से प्रतिवादी संख्या 1 का विवादग्रस्त खेत पर कोई अधिकार नही है व वादीगण पूर्ववृत खेत नम्बर 457 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके सामागढा संयुक्त खातेदारी का घोषीत होने का आदेश प्रतिवादी संख्या 2 को फरमावे। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे की वादी के कब्जे काश्त के आराजी नम्बर 457 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके सामागढा तहसील व जिला बांसवाड़ा में वादी को शांति पूर्वक काश्त में बाधा व रूकावट पैदा न करे न ही किसी अन्य से करावे। वादीगण को धारा 209 आर.टी.एक्ट के तहत उचित दादरसी दिलाई जावे डिक्री फरमावे।

फर्द दस्तावेजात में जमाबन्दी संवत 2026 से 29 सेटलमेन्ट खाता नम्बर, संवत 2034 से 2037 नकल नामान्तकरण 248 दिनांक 06.02.1983, नकल नामान्तरकरण संख्या 318 दिनांक 3.6.89 की सत्यप्रति पेश की है।

थ्दनांक 10.02.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब प्रस्तुत हुआ। जवाब में बताया कि बिन्दु संख्या 1 अस्वीकार है। क्योंकि संवत 2026 से 2029 में वादीगण द्वारा मौजा सामागढा के 5 खेत कुल रकबा 7.04 बीघा जिनके क्रमशः खसरा नम्बर 457, 499, 500, 532, 598 का क्रमशः रकबा 2.10, 0.14, 2.14, 0.06, 0.01 लगान 7.89 रूपये के वादीगण सहखातेदार होना एवं काश्त करना दर्शाया है जो पूर्णतय असत्य है। वादीगण सत्य मानले

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

की इनके द्वारा साबित किया जावे। बिन्दु संख्या 2 आशिक स्वीकार करते हुए अधिकतर तथ्य अस्वीकार है खाता नं. 39 कुल सर्वे नम्बर के कुल रकबा 7.04 बीघा रूपा पिता अमरिया का नाम सेटलमेन्ट में बहैसियत खातेदार थे। इनके फौत होने पर इनकी पत्नी हेती के नाम नियमानुसार वारसान का खाता जरिये नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 01.06.1956 दर्ज रेकार्ड होना दर्शाया गया है जो नियमानुसार न्यायहित में हुआ है। यदि किसी को भी एतराज हो तो निर्धारित समयावधि में नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिये थी या की जा सकती थी। अब इस बात का आधार लेना चाहते है वहीं पूर्णतः निराधार एवं अनियमित एवं न्यायहित में नही है। सर्वे नम्बर 457 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि नियमानुसार जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 10.11.1982 को प्रतिवादी संख्या द्वारा खातेदार हेती से कीमतन खरीद कर कब्जा प्राप्त कर काश्त करने आ रहे है।

बिन्दु संख्या 3 अस्वीकार है वादी संख्या 3 का यह बिन्दु में वर्णित तथ्य पूर्णतः असत्य होकर बनावटी है इनके द्वारा न तो अमरिया की सेवा चाकरी की न ही हेती की लडकियों द्वारा भी उनकी सेवाचाकरी नही की गई, इसलिए इनके खाते के सभी 5 खसरा नम्बर का कुल रकाब 7.04 बीघा लगान रू. 7.89 एवं अमानत को अलग अलग व्यक्तिपान को बेचान कर अपना गुजारा किया था। इसी क्रम में सर्वे नम्बर 457 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 10.11.1982 को दिया जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया खातेदार द्वारा नियमानुसार बेचान करने से वादिया द्वारा वर्तमान में वाद पेश किया गया है वह पोषणीय नही होकर प्राथमिक स्तर पर ही निरस्तनीय है। प्रतिवादी संख्या 1 अपने मामा के घर गोद रहा है। इसलिए वादीगण संख्या 3 गांव के कुछ लोगों को बहकाकर प्रतिवादी संख्या 1 से लडाई झगडा कर गांव से भगाने पर उतारू हो गया। जबरन सर्वे नम्बर 457 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर कब्जा कर लिया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण को समय समय पर निवेदन करता रहा कोई सुनवाई नही हुई तत्पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत प्रार्थनापत्र संख्या 01/2009 पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 18.3.2010 को हुआ जिसके अनुसार अतिक्रमी वादी संख्या 3 को बेदखली के आदेश हुए जिसकी पालना अभी लम्बित है। इस निर्णय की कोई अपील पेश नही की गई और यह वाद पेश किया जो कि पोषणीय नही होकर निरस्तनीय है इस बिन्दु में सभी तथ्य न्यायहित से परे होकर अनियमित होकर माननीय न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया है।

बिन्दु संख्या 4 अस्वीकार है। प्रश्नगत भूमि में वादीगण को कोई हक दखल अधिकार नियमानुसार नही है। फिर भी इनके द्वारा साबित किया जावे।

बिन्दु संख्या 5 अस्वीकार है। वादी संख्या 1 के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर कुछ समय से अवैध कब्जा कर लियाा है जो बेदखली की पात्रता रखता है इसके द्वारा अवैध कब्जा कर प्रतिवादी संख्या 1 को गांव छोडने को मजबुर करने तक की धमकी दी जा रही है। इसलिए वादी संख्या 1 अतिक्रमी की परिभाषा में आता है। इसलिए वादीगण का वाद खारीज किया जाकर वादी संख्या 1 को बेदखल किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को कब्जा सुपुर्द करने के नियमानुसार अपेक्षित है।

बिन्दु संख्या 6 अस्वीकार है। इस बिन्दु में वर्णित तथ्य असल अनियमित एंव मनगढत है। वाद में वादीगण द्वारा कोई वाद कारण नियमानुसार दर्शाया है न नियमानुसार ही किया गया है मात्र प्रतिवादीसंख्या 1 को डराधमका कर परेशान कर आपराधिक गतिविधियों का सहारा लेकर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि को जवाब एवं अवैध रूप से अनियमित प्रयास किया जा रहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के प्रकरण से साबित हो जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

बिन्दु सख्या 7, 8, 9, 10, 11 के जवाब की आवश्यकता नही है। इसलिए माननीय न्यायालय के अवलोखाधीन है।

वाद संख्या 92/2010 अनियममित, अन्याय से परिपूर्ण, अनियमित रूप से लिटीगेशन बनाकर माननीय न्यायालय के अमूल्य कलब को जाया करने के साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 के वैधानिक अधिकारों को हनन करने का प्रयास मात्र है। इसलिए वाद वादीगण प्रारम्भिक स्तर पर खारीज करवाकर प्रतिवादी संख्या 1 के वैधानिक अधिकारों की न्यायहित में रक्षा करने के आदेश प्रदान फरमावे। इसके साथ ही माननीय न्यायालय जो भी हमदाद प्रदान कर सकते है प्रदान करने की कृपा करे।

फर्द दस्तावेज में विक्रय पत्र दिनांक 10.11.82, तहसीलदार बांसवाड़ा के आदेश दिनांक 18.3.2010 की फोटो प्रति संलग्न किये है।

प्रकरण में दिनांक 14.06.2012 को निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. आया नामान्तकरण संख्या 248 दिनांक 8.2.1983 अवैध होने से प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त खेत पर कोई अधिकार नही है। –जिम्मे वादी
2. आया ग्राम सामागढ़ा के आराजी नम्बर 457 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का संयुक्त खातेदार की घोषणा की जाये। –जिम्मे वादी
3. आया वादी का वाद प्रतिवादी संख्या 1 के वैधानिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास है। वादी का वाद खारीज किया जाये। –जिम्मे प्रतिवादी
4. दादरसी

आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत दिनांक 21.11.2012 को भेरा पिता देवा जाति भील निवासी सामागढा का शपथ प्रस्तुत हुआ। जिसमें वाद पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराया गया।

आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत दिनांक 29.04.2013 को हलिया पिता हुका, दितीया पिता लालजी, चमना पिता हुका, लक्ष्मण पिता बदा का शपथ पत्र पेश हुआ। हुआ। जिसमें वाद पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराया गया।

पी डब्ल्यू 1 लक्ष्मण पिता बदा जाति भील उम्र 37 वर्ष निवासी मसोटिया की दिनांक 16.02.2015 को जिरह की गई। जिसमें बताया कि शपथ पत्र के सभी बिन्दु सही व सत्य है। दावे के साथ दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2026 से 2029 प्रदर्श–1, खतोनी सेटलमेन्ट प्रदर्श–2, अमरिया वल्द रूपा खसरा गिरदावरी संवत 2034 से 2037 प्रदर्श–3, नामान्तरकरण संख्या 248 दिनांक 8.2.1983 प्रदर्श–4, नामान्तरकरण संख्या 318 दिनांक 3.6.89 प्रदर्श 5 पेश किये है।

जिरह में बताया कि मेरी माता का नाम गलबी है। यह सही है कि मेरी माता दुसरी है। जिसमें मुझै जन्म दिया। उसका नाम कंकु है। यह सही है कि मेरे पिता की दो औरते थी यह सही है कि मेरी माता अमरिया की लडकी है इस बाबत कोई दस्तावेज पेश किया है और खुद कहा मुझे पता नही है। यह सही है कि अमरिया कब फौत हुआ मुझै पता नही हेती को फौत हुए करीबन 15 वर्ष हो चुके है। यह सही है कि अमरिया के फौत होने के बाद हेती के नाम खाते में दर्ज हुआ है यह मुझै पता नही है कि हेती ने कमजी को जमीन बेची हो यह सही है कि प्रदर्श 4 मैने पेश किया है। यह सही है कि वर्तमान में खाता कमजी के नाम दर्ज है। इसलिए हमने मुकदमा किया है। प्रदर्श ए–5 नामान्तरकरण प्रदर्श–4 नामान्तकरण के 6 वर्ष पश्चात खोला गया है। इस खेत केपूर्व दिशा में हलिया भाई का खेत है। पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा में किसका खेत है मुझे पता नही है। वादग्रस्त खेत में दो मकान बने हुए है। इस खेत में मैने मक्का की फसल बोई है। मैने लगान की रसीद पेश नही की है। यह बात गलत है कि मै वादग्रस्त भूमि पर आनाजाना नही करता हू यह गलत है कि हेती ने अपने खाते की

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

जमीन में से अन्य को भी जमीन बेची है मुझै खेतों के नम्बर मालूम नही है खेतों के कितने हिस्से है मुझै पता नही है। यह बात गलत है कि प्रतिवादी कमजी रजिस्ट्री के समय से मौके पर काबिज है।

पी डब्ल्यू 2 चमना पिता हुका जाति भील उम्र 60 वर्ष निवासी सामागढा की दिनांक 16.02.2015 को जिरह की गई। जिसमें बताया कि शपथ पत्र दिनांक 29.4.13 को पेश किया जो सही व सत्य है। जिरह में बताया कि मै अमरिया पिता रूपा को जानता हूँ अमरिया की एक औरत थी जिसका नाम हेती था अमरिया की चार लडकिया थी क्रमशः कडवी गलबी गंगा मोती है यह सही है कि गंगा की शादी मसोटिया करवाई थी गंगा के कोई औलाद नही है गलबी की शादी की मसोटिया करवाई थी इसके पति का नाम बदा था गलबी के एक लडका था यह सही है कि मोती की शादी बाई का गडा करवाई थी उसके आदमी का नाम मुझै पता नही यह सही है कि कडवी की शादी कोहाला करवाई थी उसके आदमी का नाम मुझै पता नही अमरिया के तीन लडकिया फौत हो चुकी है कडवी अभी जिवीत है गंगा के काई औलाद नही थी मोती के भी कोई औलाद नही थी कडवी के भी कोई संतान नही है। यह सही है कि मैं सामागढ़ा रहता हूं यह सही है कि अमरिया की पत्नी हेती ने कमजी को जमीन बेची है यह मुझै पता नही की खाते में प्रतिवादी कमजी का नाम चढा हो मुझै खाते का नम्बर याद नही है कितने हिस्से है मुझै पता नही अज खुद कहा कि एक टुकडा है उसमें दो भाईयों का बटवारा हुआ है। रूपा के अमरिया अकेला पुत्र था अज खुद कहा कि अमरिया ने देवा को गोद पुत्र रखा है व उसका लडका भेरा है यह सही है कि गोदनामा को काई दस्तावेज पेश किया है पूर्व दिशा में किसी का खेत नही है पश्चिम और उत्तर दिशा में किसी का खेत नही है दक्षिण दिशा में यह सही है कि भगवान का खेत है यह सही है कि मैं कभी खेत पर नही गया हूं।

पी डब्ल्यू 3 हलिया पिता हुका जाति दायमा भील उम्र 60 वर्ष निवासी सामागढा की दिनांक 16.02.2015 को जिरह की गई। जिसमें बताया कि शपथ पत्र दिनांक 29.4.13 को पेश किया जो सही व सत्य है। जिरह में बताया कि मै अमरिया पिता रूपा को जानता हूँ अमरिया की एक पत्नी थी जिसका नाम हेती था अमरिया की चार लडकिया थी क्रमशः कडवी गलबी गंगा मोती है यह सही है कि गंगा की शादी कचरा के साथ मसोटिया करवाई थी इसकी कोई औलाद नही थी गलबी की शादी भी बदा के साथ मसोटिया करवाई थी गलबी के एक लडका लक्ष्मण है यह सही है कि मोती की शादी बाई का गडा हुरता के साथ हुई थी। उसके कोई औलाद नही है कडवी की भेमा के साथ गांव कोहाला में शादी करवाई थी उसके एक लडका है उसका नाम मुझै पता नही हेती करीब 50 वर्ष पूर्व फौत हो चुकी है यह मुझै पता नही हेती ने कमजी को जमीन बेची हो। यह गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर कमजी को कब्जा हो व काश्त की हो मैं कभी कभी खेतों में जाता हूं खेत के पांच टुकडे हो ऐसा अंदाजा है। खेत मैने नही देखा है पूर्व में प्रताप गारी का तथा पश्चिम में मेरे स्वयं का खेत है। दक्षिण दिशा में चमारों की आबादी व उत्तर दिशा में गांव की आबादी है यह सही है कि वाद ग्रस्त भूमि बाबत कभी झगडा नही हुआ।

आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत दिनांक 23.02.2015 को कडवी पत्नी भेमा (पुत्री अमरिया) जाति भील निवासी कोहाला का शपथ प्रस्तुत हुआ। जिसमें वाद पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराया गया।

पी डब्ल्यू 4 कडवी पत्नी भेमा जाति भील उम्र 60 वर्ष निवासी कोहाला की दिनांक 07.05.2015 को जिरह की गई। जिसमें बताया कि शपथ पत्र दिनांक 23.2.15 को पेश किया जो सही व सत्य है। जिरह में बताया कि मेरी माता का नाम हेती था मेरे पिता का नाम अमरिया था यह सही है कि मेरे पति का नाम भेमा है मेरी माता का स्वर्गवास हो गया यह

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

मुझै नही पता की मेरी माता ने जमीन कमजी को बेची हो यह मुझै नही पता मेरे पति ने बेचान की रजिस्ट्री में गवाहान के रूप में दस्तखत किये हो मेरे पिता अमरिया जब छोटी थी जब उनका स्वर्गवास हो गया मैने उनको नही देखा मेरे पिता अमरिया के फौत होने के बाद उनके खाते की जमीन मेरे माता के नाम दर्ज हुई। यह मुझै नही पता कि वर्तमान में खाता कमजी के नाम हो। मेरे माता के फौत हुए 10 वष हो चुके है यह सही है कि मैने जमीन के लिए दावा किया है तथा दावे के साथ दस्तावेज पेश किये है प्रदर्श ए–4 में खाता किसके नाम दर्ज हुआ मुझै पता नही अज खुद कहा कि मै पढी लिखी नही हूं मुझै पता नही कि 30–35 वर्ष से कमजी के नाम खाता दर्ज हो चुका है यह सही है कि मै कोहाला में रहती हूं उक्त खेत के पूर्व दिशा में वाला का खेत पश्चिम में कचरी का खेत उत्तर दिशा में गांव दक्षिण में कालिया व विठला का खेत है। यह गलत है कि मेरी माँ हेतु ने अन्य लोगों को जमीन बेची है मेरे पिता अमरिया के चार लडकिया क्रमशः गंगा गलबी मोती व मैं स्वयं हूं गंगा की शादी मसौटिया में करवाई उसके कोई औलाद नही है गलबी की शादी मसोटिया में करवाई उसके एक ही लडका है जिसका नाम लक्ष्मण है यह गलत है कि माती की शादी बाई का गडा करवाई हो जबकि गामडी में करवाई थी यह गलत है कि अमरिया की लडकिया फौत हो गई हो जबकि हम चारों बहने जीवित है यह सही है कि हमने दावे के साथ लगान की रसीदे पेश नही की है यह सही है कि देवा पिता गौतम के गोदनामा के कोई दस्तावेज पेश नही किये है। यह सही है कि शपथ पत्र में क्या लिखा है मुझै पता नही है।

डी डब्ल्यू 1 कमजी पुत्र चमना जाति भील निवासी अगरपुरा हाल सामागढा पटवार हल्का कुशलपुरा तहसील व जिला बांसवाड़ा ने दिनांक 02.11.2017 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें बताया कि श्रीमती कडवी लक्ष्मण व भेरा वादीगण संवत 2026 से 2029 में वादीगण द्वारा मौजा सामागढा के पांच खेत कुल रकबा 7–04 बीघा जिनके क्रमशः खसरा नम्बरान 457, 499, 500, 532, 598 का क्रमशः रकबा 2–10, 0–14, 2–14, 0–06, 0–01 लगान रूपये 7.89 का सहखातेदार नही है। न ही वादीगण की उक्त खाते की भूमि पैतृक है। खाता संख्या 39 कुल सर्वे नम्बर 5 कुल रकबा 7–04 बीघा अमरिया पिता रूपा के नाम से सेटलमेन्ट से बहैसियत खातेदार था। इनके फौत होने पर इनकी पत्नि हेती के नाम नियमानुसार वारीसान होने के उक्त खाते के भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 01.06.1956 के द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ एवं मुझ प्रतिवादी ने खसरा नम्बर 457 रकबा 2–10 बीघा भूमि को खातेदार हेती से दिनांक 10.11.1982 को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय पत्र के कीमतन खरीदकर कब्जा प्राप्त कर काश्त करता चला आ रहा हूं। मूल खातेदार अमरीया व उसकी पत्नी हेती की सेवा चाकरी किसी ने नही की न ही उनकी लडकियों ने की अमरिया व हेती अपने जीवनकाल अपने खाते की कृषि भूमि को आवश्यकता अनुसार अलग–अलग व्यक्तियों को बेचान कर अपना गुजार बसर किया अपनी दैनिक जरूरतों एवं बिमारी में रूपयों की आवश्यकता होने पर खातेदार हेती ने अपने खाते के खसरा नम्बर 457 रकबा 2–10 बीघा कृषि भूमि का बेचान मुझ प्रतिवादी कमजी को दिनांक 10.11.1982 को कर नगद राशि प्राप्त कर मुझै कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। तब से उक्त खसरा नम्बर पर मेरा कब्जा काश्त चला आ रहा है। मुझको वादी भेरा गांव के कुछ लोगों के बहकावे में आकर मुझ से लडाई झगडा कर गांव से भगाने पर उतारू हो रहे है। जबरन खसरा नम्बर 457 पर अवैध कब्जा कर लिया जिस पर मुझ प्रतिवादी ने राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण को समय समय पर निवेदन करता रहा लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई। जिस मैन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत प्रार्थना पत्र संख्या 1/2009 पेश किया गया जिसका निर्णय दिनांक 18.03.2010 को हुआ। इसके अनुसार अतिक्रमी वादी संख्या 3 भेरा को बेदखली के आदेश दिये गये।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

मेरे द्वारा उक्त खसरे की भूमि को कीमतन हेती से क्रय करने के उपरान्त राजस्व अधिकारी द्वारा नियमानुसार मेरे नाम से नामान्तकरण खोल राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया गया है। मेरे नाम से नामान्तरकरण संख्या 248 दिनांक 08.02.1983 को खोला गया। उसके उपरान्त प्रतिवादीगण ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर मुझ को सुने बिना करीबन 6 वर्ष पश्चात 03.06.1989 को नामान्तकरण संख्या 318 के जरिये गंगा गलबी मोती व कडवी के नाम नामान्तरकरण खोला गया वह गलत है। जिसे खारीज किया जावे। अमरीया एवं उसकी पत्नी हेती ने अपने जीवन काल में किसी को गोद नही रखा एवं न ही किसी ने इनकी सेवाचाकरी की है मेरे द्वारा श्रीमती हेती से उक्त खाते के खसरा नम्बर 457 को खरीदने के वक्त रजिस्ट्री में वादीया कडवी के पति भेमा ने बतौर गवाह उपस्थित रहा एवं अपने हस्ताक्षर भी किये। वादीगण ने पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 2 लक्ष्मण को गोदपुत्र लेने की कोई दस्तावेज पेश नही किये है एवं वादीगण का कब्जा काश्त मौजूद है। वादीगण ने लगान की रसीद भी पेश नही की है। खसरा नम्बर 457 मेरे द्वारा कीमतन क्रय किया गया एवं उक्त सर्वे पर मेरा कब्जा काश्त मोजूद है। मैने अपने जवाब दावे के साथ मेरे द्वारा क्रय करने की रजिस्ट्री की फोटो कापी व खाते की नकल तथा नामान्तरकरण की प्रमाणित नकले पेश की है।

प्रतिवादी कमजी ने दिनांक 30.10.2019 को प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1ए (3) सीपीसी प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न विक्रय पत्र दिनांक 10.11.1982 मूल प्रस्तुत किये। वादिया कडवी ने दिनांक 06.01.2020 को प्रार्थना पत्र को जवाब प्रस्तुत किया। उक्त मूल विक्रय पत्र को रिकोर्ड पर लिया गया। जो पत्रावली में संलग्न है।

डी डब्ल्यू 1 कमजी पिता चमना दत्तक पुत्र नाथु उम्र 65 वर्ष पेशा कृषि निवासी सामागढा तहसील व जिला बांसवाडा की दिनांक 07.01.2021 को जिरह की गई। जिरह में बताया कि शपथ पत्र दिनांक 02.11.2017 को पेश किया जो सही व सत्य है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है मैन हेती बेवा अमरीया से खेती खरीदी थी जिसका विक्रय पत्र दस्तावेज असल पेश किया प्रदर्श डी 1 है। जिस पर एक्स स्थान पर अगुष्ठ निशानी हेती की है जिस पर वादी के अधिवक्ता ने आपत्ति जताई की दस्तावेज पर अगुष्ठ की निशानी है वही व्यक्ति साबित करे कोर्ट वकील वादी के एतराज को खारीज करते हुवे प्रतिवादी के अधिवक्ता को प्रदर्शित करते हुवे मार्क करने की अनुमति प्रदान की है। दस्तोवज विक्रय पत्र प्रदर्श डी–1 विक्रय पत्र के पृष्ठ संख्या 1 पर दितिया के अगुष्ठ निशानी है। बाकी सभी स्थान पर हेती के अगुठा निशानी है रजिस्ट्री के वक्त गवाह भेमा दितिया थे। और उन्होने रजिस्ट्री के वक्त अगुष्ठ दस्तखत किये थे। जिरह वादी वकील द्वारा की गई। जिरह में बताया कि वादीगण को मै पहचानता हूं वादग्रस्त कृषि भूमि सामागढा में स्थित हैयह मुझै नही पता वादग्रस्त भूमि अमरिया पिता रूपा के खाते हो अज खुद कहा मुझै हेती ने जमीन बेची थी यही से जानता हूं यह मुझै नही पता कि हेती की चार लडकिया हो। मुझै नही पता कि लडकिया के नाम गंगा गलबी मोती व कडवी हो। मुझै यह पता नही है कि पुत्र संतान न हो। मुझै यह नही पता कि गौतम का लडका देवा हो। यह बात सही है कि मेरे पिता का नाम चमना है। यह मुझै पता नही कि मेरा पिता चमना अगरपुरा के रहने वाले हो। मूलतः मै सामागढा का रहने वाला हूं यह बात गलत है कि कमजी पिता नानूराम का व्यक्ति नही रहता है अज खुद कहा कि मैं रहता हूं अज यह बात सही है कि नानूडा व चमना दोनों अलग अलग व्यक्ति है। नानूडा मेरा मामा लगता है। अजखुद कहा यह बात सही है कि कमजी पिता नानूडा के नाम का कोई दस्तावेज पेश नही किया यह कहना गलत है कि मेरे पास कमजी पिता नानूराम के नाम का कोई दस्तावेज नही है। अज खुद कहा कि मेरे पास राशन कार्ड आधार कार्ड सभी इसी नाम के बने हुए है। कमजी पिता नानूराम के बने हुए है। यह बात सही है कि रेवेन्यू रेकार्ड परिचय पत्र आधार कार्ड व चुनाव बाबत कोई

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

दस्तावेज पेश नही किये है। यह बात सही है कि मेरे कमजी पिता नानूराम दत्तक बाबत दस्तावेज पेश नही किये है। यह कहना गलत है कि नानूराम ने मुझै गोद लेने बाबत कोई दस्तावेज नही बनाया हो बल्कि नानूराम ने मुझै गोद लेने बाबत दस्तावेज बनाया जो घर पडा है। मुझै यह नही पता वादग्रस्त भूमि पर जमना हलिया अमरीया का मकान हो यह बात सही है कि जमीन पर रास्ता जाता है यह बात सही है कि प्रदर्श–डी–1 प्लास्टिक कोटेड मैन किया है। यह बात सही है कि रजिस्टार कार्यालय से प्लास्टिक कोटेड दस्तोवेज प्राप्त नही हुआ है। यह बात सही है कि मेरे चार भाई है। अगरपुरा में रहते है। यह बात सही है वादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य खेती हेती के पास है। अज खुद कहा कि दुसरे खेतों को भी बेच दिया यह बात सही है कि हेती के लडकियों को नाम दुसरी जमीन पर दर्ज है। यह बात सही है कि वादग्रस्त भूमि पर रेवेन्यू रेकार्ड पेश नही किया यह बात गलत है कि मैने झुठा दावा किया।

दिनांक 07.07.2021 को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई। वादीया के विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश द्विवेदी ने अपने कथन में बताया कि अमरीया नाम से सेटेलमेन्टी खाता सर्वे नं. 457 रकबा 2–10 बीघा का ही विवाद है। अमरीया की मृत्यु होती है। चार लडकिया गंगा गलबी मोती कडवी, पत्नी हेती (कुल 5) है। हेती के नाम से नामान्तकरण खुला । कालान्तर में आराजी नम्बर 457 प्रतिवादी कमजी पिता नानूराम नाम से रजिस्टर्ड दस्तावेज से ट्रान्सफर हुई। इस आराजी नम्बर पर घर व प्राथमिक विद्यालय भी बना हुआ है। हेती की मृत्यु के पश्चात बाकी भूमि तो लडकियों के नाम आ गई। पर आ.न. 457 नही आई। कमजी पिता नानूराम को कोई व्यक्ति सामागढा में नही रहता है। उसके प्रतिवादी स्वयं ने भी कहा कि वह गढी में रहता है। शहादत में कहा दुसरे पिता का नाम चमना है। पूर्व में लडकियों के नाम दर्ज नही हुआ व केवल माता हेती का नाम दर्ज हुआ। जबकि हमारा दर्ज होना चाहिए था।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री शकील मोहम्मद ने अपने कथन में बताया कि हेती के नाम से नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 01.06.1956 हमने 1986 में रजिस्टर्ड डीड से खरीदा तथा इस वादी का पति भेमा गवाह है। आप इतने साल बाद क्यों कोर्ट में आये हो। चारों बच्चीया वादी नही है। केवल कडवी आई है। आप Clean Hand नही आये है। भूमि की कीमत हो जाने से ही कोर्ट में आये हो। कडवी का कहना है कि मेरी सारी बहने जिन्दा है लगान की रसीदे इन्होने पेश नही की वादी संख्या 2 ने इसे गोद पुत्र बताया जबकि कोई गोदनाम पेश नही किया। प्रदर्श –4 का अवलोकन हो। इसमें इसने खुद को वारीस या गोदपुत्र नही बताया है। गवाह वाद पत्र की तरह ही बताया है। गवाहों के कथनों में अन्तर है। कोई बोल रहा कि सभी बहने जीवित है। कोई कहता है कि तीन बहने मर गई है। हमने जरिये रजिस्ट्री पैसा देकर खरीदी है। अतः इनका वाद खारीज करावे।

पुनः वादीया के विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश द्विवेदी ने प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के कथन का खंडन करते हुए अपने कथन में बताया कि गंगा व मोती लाऔलाद फौत है। इन्होने जो बहस में बिन्दु उठाया है उससे सम्बन्धित कोई तनकी नही है। प्रतिवादी ने जवाब के बिन्दु संख्या 3 में स्वीकार किया है कि चार लडकिया थी। कमजी पिता नानूराम के नाम की रजिस्ट्री कमजी पिता चमना ने पेश की है। दोनों अलग अलग व्यक्ति है। मैन कमजी चमना को प्रतिवादी बनाया है। जब इन्होने 183 बी का दावा तहसील में पेश किया तब हमे पता चला की भूमि किसी ने माँ से फर्जी तरीके से खरीद लिया। नानूराम व चमना एक ही है। ऐसा कोई दस्तावेज रेकार्ड पर नही है। इन्होने कोर्ट में शपथ पत्र कमजी पिता चमना नाम से ही प्रस्तुत किया है। मुझै खातेदार घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री शकील मोहम्मद ने अपने कथन में बताया कि इन्होने वाद में चारो बहनों को जिवित बताया जबकि मैने जवाब में कहा कि तीन बहने मर गई व एक जिवित है। दावा साबित नही होता खारीज फरमावे।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक गणों की बहस पर मनन एवं पत्रावली में वाद पत्र, जवाब दावा, गवाहान शपथ पत्रों एवं उनकी जिरह एवं सलग्न दस्तावेजो का गहन अध्ययन किया तो पाया कि प्रतिवादी ने यह जमीन विधि सम्मत व नियमानुसार वादी की माता से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये दिनांक 10.11.1982 को क्रय की है। जिसमें गवाहन के हस्ताक्षर में वादी का पति भेमा गवाह का हस्ताक्षर होना जाहिर हुआ है। प्रतिवादी उक्त विवाद ग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 457 रकबा 2–10 बिस्वा लगानी 7.89 रू. पर क्रय दिनांक 10.11.1982 से (लगभग 39 वर्ष) कब्जा प्राप्त कर आदिनांक तक कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। वादी के गवाहान के बयानों में भी अन्तर पाया एवं पी डब्ल्यू 4 में प्रस्तुत शपथ पत्र में क्या लिखा पता नही होना जाहिर किया जिससे वादी की साक्ष्य स्वतः खत्म हो जाने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रतिवादी के पक्ष में तय किया जाता है। अतः तनकी नम्बर 1 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

चूंकि तनकी नम्बर 1 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की गई है। अतः संयुक्त खातेदारी नही दी जा सकेगी। अतः तनकी नम्बर 2 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या के पक्ष में निर्णित होने से तनकी संख्या 3 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः उक्त तीनों तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित होने से। वादीगण का वाद सारहीन पाये जाने से खारीज किया जाता है।

आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीगण का वाद खारीज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2021 को सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)